बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

दिनांक–01.11.2019 को पूर्वाह्न 11.00 बजे प्रधान सचिव की अध्यक्षता में सम्पन्न विभाग द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :–

1. प्रधान सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
2. निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
3. संयुक्त निदेशक (त०), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
4. विशेष कार्य पदाधिकारी, कौशल विकास कोषांग, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
5. परामर्शी–1, बिहार कौशल विकास मिशन, श्रम संसाधन विभाग
6. परामर्शी–2, बिहार कौशल विकास मिशन, श्रम संसाधन विभाग

बैठक में विचार–विमर्श उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये:–

1. राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों/राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में कार्यरत नियमित शिक्षक जिन्होंने अभी तक राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (NITTTR) द्वारा आयोजित Induction Phase-I प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किये हैं उनकी सूची सभी संस्थानों से एक सप्ताह में प्राप्त किया जाय।
2. इन सभी शिक्षकों का Induction Phase-I प्रशिक्षण NITTTR में करायी जाय।
3. जिन शिक्षकों द्वारा Induction Phase-I प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया गया है उन्हें Induction Phase-II प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु NITTTR में ऑनलाइन पंजीकरण करने हेतु निदेशित किया जाय।
4. विभिन्न राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों/राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में निजी कंपनियों द्वारा कैम्पस प्लेसमेन्ट किया जाता है, उन सभी कंपनियों की सूची संस्थानों से पिछले तीन वर्ष का नियोजन विवरणी एवं कंपनी द्वारा दिये गये वेतन पैकेज के साथ प्राप्त की जाय।
5. इन सभी निजी कंपनियों के साथ उनके माँग के अनुरूप छात्रों को तैयार करने हेतु प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की जाय।
6. शिक्षु अधिनियम 1961 को बिहार सरकार के अन्तर्गत विभिन्न विभागों/उपक्रमों में लागू करने हेतु विभाग के प्रधान सचिव/सचिव को पुनः विस्तृत वर्णन के साथ पत्र प्रेषित किया जाय।

7. शिक्षु अधिनियम 1961 को विभिन्न विभागों/उपक्रमों में लागू कराने में तकनीकी सहायता प्रदान करने एवं उनके अनुश्रवण हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण बोर्ड(पूर्वी क्षेत्र) के ओ०एस०डी० श्री मंतोश कुमार को विभाग में ही बैठने की व्यवस्था की जाए।
8. बिहार कौशल विकास मिशन से विभाग को प्राप्त विभिन्न निजी प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसियों में से प्रावैधिकी/अभियंत्रण से संबंधित कोर्स में प्रशिक्षण प्रदान करने वाले प्रशिक्षण केन्द्र से ही कौशल प्रशिक्षण संचालित की जाय।
9. बिहार कौशल विकास मिशन से विभाग को प्राप्त प्रावैधिकी/अभियंत्रण से भिन्न कोर्स यथा Sewing Machine Operator, Hand Embroiderer, Hair Stylist, Beauty Therapist, Life Insurance Agent, General Duty Assistant, Sales Associates इत्यादि कोर्स में प्रशिक्षण प्रदान करने वाले निजी प्रशिक्षण केन्द्रों को बिहार कौशल विकास मिशन को वापस कर दी जाय।
10. विभागीय लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रावैधिकी/अभियंत्रण से संबंधित कोर्स में प्रशिक्षण प्रदान करने वाले अतिरिक्त 350 निजी प्रशिक्षण केन्द्र उपलब्ध कराने हेतु बिहार कौशल विकास मिशन को कोर्स की सूची संलग्न कर पुनः पत्र प्रेषित की जाय।
11. बिहार कौशल विकास मिशन से विभाग को प्राप्त जिन प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा अब तक विभाग के साथ MoU नहीं किया गया है एवं जिन प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा विभाग के साथ MoU हस्ताक्षरित करने के उपरान्त प्रशिक्षण प्रारंभ नहीं किया गया है, उनके साथ बैठक करने के उपरान्त इनकी सूची बिहार कौशल विकास मिशन को वापस करने पर विचार किया जाय।
12. प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थियों का नियोजन विवरणी पोर्टल पर अपडेट करने हेतु बिहार कौशल विकास मिशन को प्लेसमेंट पोर्टल लाँच करने के संबंध में पत्र प्रेषित की जाए।
13. यदि प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा प्रशिक्षण के उपरान्त प्रशिक्षणार्थियों का नियोजन नहीं कराया जाता है तो उस केन्द्र के साथ आगे की कार्रवाई बन्द करने हेतु पोर्टल में ही व्यवस्था कर दी जाय। इस हेतु बिहार कौशल विकास मिशन को पत्र प्रेषित की जाय।
14. प्रशिक्षणार्थियों के Biometric Attendance को UIDAI (आधार) से लिंक करने, प्रशिक्षणार्थियों की जमानत राशि वापस करने एवं डोमेन स्कीलिंग के विपत्र का भुगतान हेतु Portal के अन्दर Payment Gateway तैयार करने के संबंध में बिहार कौशल विकास मिशन को पत्र प्रेषित की जाय।
15. Batch आरंभ करने से पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र पर DSM की उपस्थिति में प्रशिक्षणार्थियों का Biometric Impression Catch करने हेतु सभी DSM को निदेशित करने के संबंध में बिहार कौशल विकास मिशन को पत्र प्रेषित किया जाय।

16. निजी प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा चलाये जा रहे प्रशिक्षण के निरीक्षण हेतु Alert based App. जो निरीक्षण स्थल पर Geo tag के साथ प्रतिवेदित किया जा सके, तैयार करने के संबंध में बिहार कौशल विकास मिशन को पत्र प्रेषित की जाय।
17. जिन प्रशिक्षण केन्द्रों को विभाग द्वारा Show cause दिया जाता है उनकी सूची बिहार कौशल विकास मिशन को आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध करा दी जाय।
18. जिन प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा Show cause का प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जा रहा है, प्रतिवेदन की समीक्षा बिहार कौशल विकास मिशन से करा ली जाय एवं बिहार कौशल विकास मिशन के अनुशंसा के उपरान्त ही इन केन्द्रों के विपत्र का भुगतान किया जाय।
19. निजी प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा चलाये जा रहे प्रशिक्षण का निरीक्षण करने हेतु विभाग द्वारा निरीक्षक के रूप में नामित विभिन्न राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों/राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों के शिक्षकों का कार्यशाला आयोजन किया जाय।
20. निजी प्रशिक्षण केन्द्र के प्रत्येक दो बैच के उपरान्त उनके केन्द्र हेतु नामित निरीक्षक को आपसी फेरबदल करना सुनिश्चित किया जाय।
21. प्रत्येक बैच का दो निरीक्षण प्रतिवेदन बी०एस०डी०एम० पोर्टल पर अपलोड एवं पब्लिश की सुनिश्चितता कर लिया जाय एवं पेन्डिग अपलोडेड निरीक्षण प्रतिवेदन को पोर्टल पर अतिशीघ्र पब्लिश किया जाय।
22. बिहार कौशल विकास मिशन से विभाग को प्राप्त सभी कार्यशील प्रशिक्षण केन्द्रों की बैठक आयोजित किया जाय।
23. विभागान्तर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों/राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में कुशल युवा कार्यक्रम के सुचारू रूप से संचालन हेतु प्रत्येक माह संस्थानों की बैठक बुलायी जाय।

बैठक की कार्यवाही धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्पन्न हुई।

28.11.19
निदेशक
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
बिहार, पटना।

29/11/2019
प्रधान सचिव
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– वि०प्रा०(IV) बि०कौ०वि०मि०व²–02 / 17(पार्ट–2) 4029 दिनांकः– 3-12-2019
प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

3/12/19

संयुक्त निदेशक(त०),
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना